

कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश  
टाउन हॉल परिसर,  
जिला छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट

क्रमांक 961/नि0आ0/नग्रानि/2011

छिन्दवाड़ा दिनांक 2/5/11

प्रति,

श्री इमरान अली एवं श्री इरफान अली  
पिता श्री इस्तेयाक अली  
निवासी तिलक वार्ड सिवनी

**विषय:** व्यवसायिक (दुकान) प्रयोजन में विकास/पुर्ननिर्माण करने हेतु निवेश अनुज्ञा प्रदान करने बाबत।

**संदर्भ:** आपका आवेदन पत्र दिनांक 11.04.2011

संदर्भित आपके आवेदन पत्र में यथावर्णित विकास/पुर्ननिर्माण कार्य को क्रियान्वित करने हेतु एतद् द्वारा आधिपत्य की भूमि ग्राम सिवनी के नजूल ब्लॉक नं0 52 प्लॉट नं0 18/2,18/3 में स्थित भूमि का रकबा 99.81 वर्गमीटर भूमि पर निर्मित दुकान को तोड़कर व्यवसायिक (दुकान) के उपयोग में पुर्ननिर्माण हेतु म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 की उपधारा (3) तथा म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 2 (5) एवं 27 (1) के अधीन एवं सिवनी विकास योजना 2021 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाये गये अनुसार निवेश अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती हैं:-

1. निम्न लिखित अधिनियम/नियम सक्षम प्राधिकारी तथा स्थानिय संस्था से अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
  - अ. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961
  - ब. नजूल विभाग
  - स. यदि किसी अधिनियम के तहत कोई अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करना हो तो वह भी प्राप्त करना होगी।
2. प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख मार्ग की चौड़ाई 10.6 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 5.3 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा तथा मार्ग अधिकार के अंतर्गत आने वाली भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
3. संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार दर्शित प्रश्नाधीन स्थल पर निर्मित क्षेत्र पार्किंग/सर्कुलेशन स्पेस मानचित्रानुसार रखना होगा।
4. संलग्न मानचित्रानुसार निर्मित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा।
5. सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल प्रवाह, वर्षा के पानी की निकासी आयोजन मानचित्र स्थानिय संस्था से स्वीकृत कराकर निर्धारित मापदंडानुसार करना होगी।
6. प्रश्नाधीन स्थल पर विद्युत लाईनों हेतु म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 52 तथा म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान नियमों के अनुसार पालन करना अनिवार्य होगा तथा संबंधित विभाग से अनापत्ति लेना होगा।
7. म0 प्र0 भूमि विकास निगम 1984 के नियम 78 (4) के प्रावधानों के अनुसार बड़े भू-खंडों में निर्मित होने वाले भवनों हेतु रेन वाटर हारवेस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी।
8. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मेन्टेनेंस खसरा/नजूल शीट में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी जबाबदारी आवेदक की होगी।
9. प्रश्नाधीन स्थल पर विकास/निर्माण किये जाने से पूर्व नगर पालिका परिषद् सिवनी से भवन निर्माण अनुमति प्राप्त करनी होगी।
10. प्रश्नाधीन स्थल पर भूकंप अवरोधी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना होगा।



- 11 भूमि स्वामित्व एवं सीमा विवाद तथा मार्ग विवाद या अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर यह अनापत्ति स्वयं में निरस्त मानी जावेगी।
- 12 म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार यह अनुज्ञा 3 वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।
- 13 इस अनुज्ञा एवं सहपत्र को भूमि स्वामित्व दस्तावेज न समझा जावे।
- 14 शासन द्वारा समय-समय पर लागू होने वाले नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

किसी भी प्रकार के भूमि स्वामित्व सीमा विवाद मार्ग विवाद होने पर यह अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानागत निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न: मानचित्र 1 प्रति

५३ ५१०५

संयुक्त संचालक

१८

नगर तथा ग्राम निवेश  
जिला कार्यालय- छिन्दवाड़ा

क्रमांक १६१/६३ नि०आ० / नग्रानि / 2011  
प्रतिलिपि:

छिन्दवाड़ा दिनांक १५/१/११

1. नजूल अधिकारी जिला सिवनी की ओर मानचित्र की एक प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् सिवनी की ओर मानचित्र की एक प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

५३ ५१०५

संयुक्त संचालक

१८

नगर तथा ग्राम निवेश  
जिला कार्यालय- छिन्दवाड़ा

